न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 27/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
वसनाराम पुत्र भीमाजी, जाति रेबारी, साकिन रेबारियों का वास, वार्ड नं.19,आहोर		1.सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर 2.नेथीराम पुत्र हीराजी, जाति रेबारी, निवासी रबारियों का वास, वार्ड नं.19, आहोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत आहोर,दिनांक 20.6.2016(प्रस्ताव सं.6)

उपस्थिति :–
1.श्री चुन्नीलाल पुरोहित, ,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री मधुसूदन व्यास,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 9.7.2019

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वसनाराम का मकान आहोर में रबारियों के वास ,सोदरा माता मन्दिर केपास आया हुआ है। बिरादरी के पूरे मकान एक ही चौक में आये हुए है। अप्रार्थी सं.2 का मकान, प्रार्थी के मकान के पास अलग मौहल्ले में आया हुआ है। अप्रार्थी के मकान की पूठ दक्षिण दिशा में है। अप्रार्थी नं.2 के मकान व निकाल पीढीयों से मुख्य रास्ता पर निकलता है। अप्रार्थी सं.1 ने गलत रूप से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दरवाजा खोलने की अनुमति दी है। दिवार निकालने में कोई आपत्ति नही है परन्तु पीढीयों से इसी जगह दरवाजा नही है,नया दरवाजा निकालने की ईजाजत गलत रूप से जारी की है। ग्राम पंचायत ने दीवार निर्माण के साथ दरवाजा खोलने की अनुमति जारी की है जो गलत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.6. 2016को सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर में एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद , अप्रार्थी सं.2 के पुत्र गेपराराम व लालाराम के विरूद्ध पेश किया था जिसकी सुनवाई कर, जबरदस्ती दरवाजा खोलने व रोक लगाने के लिए आवेदन किया था। सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा दिनांक 15.6.2016को अप्राथी सं.2 की दरख्वास्त लेकर दूसरे दिन मौका रिपोर्ट मंगाकर तथा तुरन्त प्रभाव से ईजाजत जारी की गई है जबकि ईजाजत के पूर्व सबंधित गलीवालों द्वारा आपत्ति पेश की थी। सिविल न्यायालय में मुकद्मा चलने के कारण ग्राम पंचायत को एन.ओ.सी. देने के लिए कोई अधिकार नही है तथा ग्राम पंचायत दरवाजा खोलने की ईजाजत नही दी जा सकती। प्रार्थी की निजी गली मे किसी

प्रकार का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। अतः ग्राम पंचायत आहोर का आदेश दिनांक 20.6.2016 (प्रस्ताव स.6) निरस्त करावे तथा एन.ओ.सी. खारिज करावे। प्रार्थी ने निगरानी में फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 20.6.16 की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्राथी सं.2–नेथीराम पुत्र हीराजी जाति रेबारी,निवासी आहोर की ओर से उनके वकील ने जवाब दिनांक 16.8.2016को पेश किया कि प्रार्थी वसनाराम का रहवासीय मकान आहोर में है। प्रार्थी वसनाराम ने सिविल कोर्ट में एक दावा पेश कर रखा है जिसमें इसी प्रकार का मामला उठाया है। उसमें अप्रार्थी नेथीराम के बजाय नेथीराम के लडके गेपरराम को तथा लालाराम को पक्षकार बनाया गया है। उस वाद में निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया है। जब सिविल न्यायालय में स्थगन नही मिला तो इस न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की है। जिस गली को प्रार्थी अपनी नीजि गली बता रहा है,वह सार्वजनिक गली है, उसी गली के आगे सार्वजनिक चौक भी है। प्रार्थी ने दावे के साथ एक नक्शा परिशिष्ट–अ पेश किया है। यह नक्शा परिशिष्ट–अ वाद पत्र गलत बनाया हुआ है। जिस गली को नीजि गली बताया जा रहा है ,वह गली सार्वजनिक है,वह कम से कम 20 से 25 घरों का रास्ता है, उसमें पानी की पाईप लाईन है,बिजली के खम्भे है ,इस प्रकार इस गली को आने जाने के लिय अप्रार्थीगण भी काम में लेते है। सार्वजनिक गली में तथा किसी भी गली में किसी को भी अपना दरवाजा खिडकी खोलने का अधिकार है। प्रार्थी इसमें ऐतराज करने का अधिकार भी नही रखता है। जिस जगह पर दरवाजा खोला जा रहा है वह जगह अप्रार्थी की मालिकाना है। अप्रार्थी किसी जमीन पर अतिक्रमण नही कर रहा है । पेमाराम व दूदाराम क दरवाजे पहले से ही इस गली में खुले हुए है। गली की जमीन ग्राम पंचायत की है। जब ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 15.6.2016 को अप्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था,इस बात की जानकारी प्रार्थी को होने के बाद जब उसने ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश की थी तो उसने सिविल दावे में इस बात को छिपाया है, अनुमति दिनांक 16.6.2016 की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 7.7.2016 को जारी की गयी है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में बताया व ग्राम पंचायत आहोर का आदेश दिनांक 20.6.16 खारिज कराने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.2 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थी की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

(पं.नि.संख्या 27/2016,वसनाराम बनाम सरपंच,ग्राम पंचायत आहोर,वगैराह)

–3–

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अनुसार प्रार्थी– ने सरपंच ग्राम पंचायत आहोर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 नेतीराम के पक्ष में दरवाजा खोलने की अनुमति कमांक 78 दिनांक 7.7.16 से सबंधित प्रस्ताव सं.6व आदेश दिनांक 20.06.16 निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आहोर के आदेश दिनांक 20.6.2016 व प्रस्ताव सं.6 को निरस्त करने हेतु पंचायत समिति आहोर की स्थाई समिति में कोई अपील पेश नही की गई है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.6.16 को सिविल न्यायाधीश(क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर में अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद अप्रार्थी सं.2 के पुत्र गेपराराम व अन्य– लालाराम के विरूद्ध पेश किया था जो दिवानी विविध प्रकरण सं. 46/2016,वसनाराम बनाम गेपराराम ,लालाराम है, जिसमें निर्णय दिनांक 22.11.2016 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण दिनांक 22.11.2016 को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है,इसके पश्चात् प्रार्थी वसनाराम द्वारा सिविल न्यायाधीश जालोर में प्रस्तुत दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी मूल प्रकरण सं. 55/2016 ,वसनाराम बनाम गेपराराम वगैराह, निर्णय दिनांक 1.12.2018 को खारिज किया जा चुका है।

आदेश

अतःप्रार्थी द्वारा सरपंच,ग्राम पंचायत आहोर के आदेश दिनांक 20.6. 2016व प्रस्ताव सं.6 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 9.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:01:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: